न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 26/2017

अपीलान्ट्स

हरीश मनिहार पुत्र कन्हैयालाल, जाति मनिहार माहेश्वरी, निवासी :– बी–5 किरण बिल्डिंग, द्वितीय फ्लोर, टी. पी. एस. तृतीय, तीसरी रोड़, शांताक्रुज (पूर्व) मुम्बइ हाल बंगला नम्बर 128, उम्मेद हेरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. श्रीमती समदा पत्नी नारायणराम,
2. भंवराराम पुत्र नारायणराम
3. गोपाराम पुत्र नारायणराम
4. कालूराम पुत्र नारायणराम
5. छगाराम पुत्र नारायणराम
6. श्रीमती सुआ पुत्री नारायणराम
7. श्रीमती कसुम्बी पुत्री नारायणराम
8. श्रीमती मीरा पुत्री नारायणराम
   सभी जातिगण नायक, निवासीगण :– गांव गुड़ा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1008 जो केम्प कोर्ट तनावड़ा द्वारा राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार में दिनांक 25.06.2015/10.07.2015 स्वीकृत किया गया।

———

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री भरत बूब उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 तथा 8 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :–**18.12.2019**

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1008 जो केम्प कोर्ट तनावड़ा द्वारा राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार में दिनांक 25.06.2015/10.07.2015 स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि गांव भाकरासनी, तहसील लूणी के खसरा नं0 203/2 रकबा 13 बीघा श्रवणराम आदि के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। जिसमें नारायणराम पुत्र जोगाराम, जाति

नायक भी बतौर सहखातेदार के नाम से दर्ज थी। इस भूमि में कुल 16 खातेदार थे। सभी खातेदारान् ने उपरोक्त खसरा नं0 203/2 रकबा 13 बीघा वाके गांव भाकरासनी के लिए आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया एवं बंटवारा करने के बाद अपने हिस्से में आई हुई भूमि को कृषि भूमि से आबादी भूमि में रूपान्तरित करने हेतु आवेदन कर दिया।

इस भूमि में नारायणराम पुत्र जोगाराम, जाति नायक भी बतौर सहखातेदार था। इस कारण से उपरोक्त खसरे की भूमि में से नारायणराम के बंट व हिस्से में सहमति से बनाए गए भूखण्ड़ो में से भूखण्ड संख्या 9 बनाप 1003.32 वर्ग मीटर भूमि आई हुई है। नारायणराम ने अपने हिस्से में आई हुई उपरोक्त कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरित करवाने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी के समक्ष रूपान्तकरण प्रकरण संख्या 134/94/668–70 दिनांक 19.03.1994 को इस भूखण्ड 9 के लिए आवासीय पट्टा विलेख प्राप्त कर लिया एवं भूखण्ड पर बहैसियत मालिक काबिज हो गया।

नारायणराम ने उपरोक्त भूखण्ड का बेचान श्रीमति सुनिता वी0 डागा पत्नी विमल डागा, निवासी 78, नेपेन्सी रोड, मुम्बई हाल निवासी जोधपुर को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.10.1994 को कर दिया। श्रीमती सुनिता डागा ने भूखण्ड का रजिस्टर्ड बेचाननामा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 06.10.2005 को निष्पादित कर दिया। तब से अपीलान्ट इस भू–भाग पर बहैसियत मालिक काबिज है।

नारायणराम का दिनांक 21.08.2013 को देहान्त हो गया, उनके देहान्त के बाद रेस्पोडेन्ट ने इन समस्त तथ्यों की जानकारी रखते हुए भी राजस्व अभिलेखों में अपने पिता के स्थान पर अपना नाम गलत रूप से अंकित करवा दिया। रेस्पोडेन्ट द्वारा किए गये इस गलत व गैर कानूनी कृत्य के लिए अपीलान्ट ने आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1008 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार लूणी से प्राप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गयी।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का लिखित में जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील जाहिरा मियाद बाहर है जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज करने काबिल है। विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1008 दिनांक 25.06.2015 को स्वीकृत हुआ अतः रेवेन्यू रेकर्ड से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2015 में स्वीकृत नामान्तरकरण की मियाद बाहर अपील ढाई वर्ष बाद पेश की है अतः कानूनन यह अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज करने काबिल है। अपीलान्ट को रेवेन्यू रेकर्ड की पूर्व में ही जानकारी थी। बिना कोई ठोस आधारों पर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिसमें किसी प्रकार के सुदृढ आधार नहीं है प्रार्थना–पत्र हर सुरत में खारिज करने काबिल है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज किया जावें।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया तथा रेस्पोडेन्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया। इस अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट के अभिभाषक श्री भरत बूब ने अपनी मौखिक बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इस भूमि में नारायणराम पुत्र जोगाराम, जाति नायक भी बतौर सहखातेदार था। इस कारण से उपरोक्त खसरे की भूमि में से नारायणराम के बंट व हिस्से में सहमति से बनाए गए भूखण्ड़ो में से भूखण्ड संख्या 9 बनाप 1003.32 वर्ग मीटर भूमि आई हुई है। नारायणराम ने अपने हिस्से में आई हुई उपरोक्त कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरित करवाने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी के समक्ष रूपान्तकरण प्रकरण संख्या 134/94/668–70 दिनांक 19.03.1994 को इस भूखण्ड 9 के लिए आवासीय पट्टा विलेख प्राप्त कर लिया एवं भूखण्ड पर बहैसियत मालिक काबिज हो गया। नारायणराम ने उपरोक्त भूखण्ड का बेचान श्रीमति सुनिता वी0 डागा पत्नी विमल डागा, निवासी 78, नेपेन्सी रोड, मुम्बई हाल निवासी जोधपुर को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.10.1994 को कर दिया। श्रीमती सुनिता डागा ने भूखण्ड का रजिस्टर्ड बेचाननामा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 06.10.2005 को निष्पादित कर दिया। तब से अपीलान्ट इस भू–भाग पर बहैसियत मालिक काबिज है। नारायणराम का दिनांक 21.08.2013 को देहान्त हो गया, उनके देहान्त के बाद रेस्पोडेन्ट्स ने इन समस्त तथ्यों की जानकारी रखते हुए भी राजस्व अभिलेख में अपने पिता के स्थान पर अपना नाम गलत रूप से अंकित करवा दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1008 जो तहसीलदार लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता नारायणराम के फौत होने पर उनके विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1008 दिनांक 25.06.2015 को स्वीकृत हुआ है जिसकी अपील उसके वारिसान् ही कर सकते है। नामान्तरकरण वारिसों के सही नाम से भरा गया है। अगर नामान्तरकरण निरस्त भी कर दिया जावे तो वापिस मृत व्यक्ति के नाम किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तो सेक्शन 96 सी0पी0सी0 के तहत अनुमति के लिए प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया। नामान्तरकरण में अधिकार तय नहीं हो सकते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमावें।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि खसरा नं0 203/2 का 13 वां हिस्सा 1003.32 वर्गमीटर जो नारायणराम के हिस्से में था उसका सम्पूर्ण बेचान नारायणराम द्वारा कर दिया गया तो विरासत के नामान्तरकरण में किस भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया गया। अपील के साथ बेचानानामा, संपरिवर्तन के आदेश की प्रति व सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये है। अपील दर्ज होने के बाद किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट को दिनांक 20.09.2017 को नामान्तरकरण की प्रतिलिपि मिली तथा दिनांक 22.09.2017 को अपील पेश कर दी गई। अतः निवेदन है कि नारायणराम की जगह क्रेता के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावें।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है

कि गांव भाकरासनी, तहसील लूणी के खसरा नं0 203/2 रकबा 13 बीघा श्रवणराम आदि के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। जिसमें नारायणराम पुत्र जोगाराम, जाति नायक बतौर सहखातेदार के नाम से दर्ज थी। इस भूमि में कुल 16 खातेदार थे। सभी खातेदारान् ने उपरोक्त खसरा नं0 203/2 रकबा 13 बीघा वाके गांव भाकरासनी के लिए आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया एवं बंटवारा करने के बाद अपने हिस्से में आई हुई भूमि को कृषि भूमि से आबादी भूमि में रूपान्तरित करने हेतु आवेदन कर दिया। इस भूमि में नारायणराम पुत्र जोगाराम, जाति नायक भी बतौर सहखातेदार था। इस कारण से उपरोक्त खसरे की भूमि में से नारायणराम के बंट व हिस्से में सहमति से बनाए गए भूखण्ड़ो में से भूखण्ड संख्या 9 बनाप 1003.32 वर्ग मीटर भूमि आई हुई है। नारायणराम ने अपने हिस्से में आई हुई उपरोक्त कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरित करवाने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार, लूणी के समक्ष रूपान्तकरण प्रकरण संख्या 134/94/668–70 दिनांक 19.03.1994 को इस भूखण्ड 9 के लिए आवासीय पट्टा विलेख प्राप्त कर लिया एवं भूखण्ड पर बहैसियत मालिक काबिज हो गया। नारायणराम ने उपरोक्त भूखण्ड का बेचान श्रीमति सुनिता वी0 डागा पत्नी विमल डागा, निवासी 78, नेपेन्सी रोड, मुम्बई हाल निवासी जोधपुर को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.10.1994 को कर दिया। श्रीमती सुनिता डागा ने भूखण्ड का रजिस्टर्ड बेचाननामा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 06.10.2005 को निष्पादित कर दिया। नारायणराम का दिनांक 21.08.2013 को देहान्त हो गया, उनके देहान्त के बाद रेस्पोडेन्ट ने राजस्व अभिलेखों में अपने पिता के स्थान पर अपना नाम अंकित करवा दिया। रेस्पोडेन्ट ने अपने पिता के द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड का बेचान करने के बाद बेचान करने की जानकारी होने के बावजूद राजस्व रेकर्ड में अपना नाम अंकित करवा दिया है जो उचित नहीं है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1008 जो कैम्प कोर्ट तनावड़ा द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में दिनांक 25.06.2015/10.07.2015 को स्वीकृत किया गया को एतद् निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लूणी को निर्देश है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के क्रय विक्रय के मूल दस्तावेज की जांच के बाद नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.01.07 18:11:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: